झारखण्ड सरकार

कार्यालय, नगर पंचायत, लातेहार

जिला– लातेहार

खुली डाक आमंत्रण सूचना संख्या– 01/2019–20

आम सूचना

सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत, लातेहार जन कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन करते हुए रोजगार सृजन कर बेरोजगारों को रोजगार देने का काम कर रही है। शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने हेतु नगर पंचायत दुकानों का निर्माण एवं आवंटित कर स्वरोजगार मुहैया करा रही है। वर्त्तमान में नगर पंचायत क्षेत्र में कुछ नये दुकानों का निर्माण किया गया है। सुयोग्य उम्मीदवारों स्वरोजगार के कम में दुकान आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। उम्मीदवारों को अपना आवेदन के साथ आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, यदि रोजगार हेतु सरकारी प्रशिक्षण प्राप्त किये हों का प्रमाण पत्र इत्यादी आवेदन के साथ दे सकते हैं। संबंधित दुकानों के आवंटन हेतु आवेदक की उम्र 18 से 45 के बीच की होगी। आवेदक को आवेदन के साथ प्रत्येक दुकान हेतु **1.00 लाख (एक लाख) रू0** के सुरक्षित जमा राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चेक जो कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत लातेहार के नाम से देय हो जमा करना अनिवार्य होगा। दुकानों के निर्माण लागत 1400.00 (एक हजार चार सौ) रू0 प्रति वर्गफिट सरकार द्वारा निर्धारित है। जिसके आधार पर क्षेत्रफल के अनुसार दुकान के डाक का बीड रेट तय होगा तथा दुकान आवंटित होने के उपरान्त प्रतिमाह किराया 08 रू0 प्रतिवर्ग फिट होगा। दुकान के डांक संबधित तिथि का विवरण निम्नवत है :–

1. आवेदन प्राप्ति की तिथि	–	10.06.2019 से 18.06.2019
2. आवेदन की स्क्रूटनी की तिथि	–	20.06.2019
3. डांक की प्रथम तिथि	–	24.06.2019 अपराहन् 1:00 बजे से 3:00 बजे तक।
4. डांक की द्वितीय तिथि	–	25.06.2019 अपराहन् 1:00 बजे से 3:00 बजे तक।
5. डांक की तृतीय तिथि	–	26.06.2019 अपराहन् 1:00 बजे से 3:00 बजे तक।

नियम एवं शर्त्त–

1. सभी दुकानों की आवंटन की प्रक्रिया खुली डांक के द्वारा की जायेगी। साथ ही उच्चतम डाककर्ता के पक्ष में दुकानों का आवंटन किया जायेगा।

2. आवेदक को दुकान के डाक में भाग लेने से पूर्व नगर पंचायत, लातेहार के कार्यालय में **500.00 (पांच सौ) रू0 नगद** जमा कर आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा। तदोपरान्त उसे भर कर कार्यालय में उपरोक्त डाक की निर्धारित तिथि से पूर्व जमा करने के बाद ही संबंधित आवेदक को डाक में भाग लेने दिया जायेगा। इस राशि की वापसी/सामायोजन नहीं की जायेगी।

3. उपरोक्त तिथि को दुकानो की खुली डाक उपस्थित आवेदको के बीच नगर पंचायत, लातेहार के कार्यालय कक्ष में किया जायेगा।

4. आवेदक को दुकान आवंटित हो जाने के उपरान्त डांक में बोली गई सम्पूर्ण राशि का **बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चेक जो कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, लातेहार के नाम से देय हो** 07 दिनों के अन्दर कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा, यदि 07 दिनों के अन्दर संबंधित आवेदक द्वारा समस्त राशि जमा नही की जाती है तो जमा की गई सुरक्षीत जमा राशि को जब्त करते हुए दुसरे उच्चतम डाककर्ता को दुकान आवंटित कर दिया जायेगा। साथ ही आवेदक द्वारा डाक के समय जमा की गई सुरक्षित राशि का समायोजन डांक की राशि में की जायेगी।

5. डाक की राशि का समायोजन दुकान के निर्धारित किराये में नहीं किया जायेगा।

6. आवंटित दुकानों का एकरारनामा नगर पंचायत, लातेहार द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्त्तो के अधिन डांक की पूर्ण राशि जमा होने के उपरांत किया जायेगा।

7. दुकान आवंटित होने पर संबंधित दुकान का ट्रेड लाईसेंस बनाना अनिवार्य होगा।

8. न्यायालय से संबंधित वादों का निष्पादन लातेहार अवस्थित न्यायालयों में ही मान्य होगा।

9. उपरोक्त डांक के संदर्भ में किसी भी प्रकार की जानकारी नगर पंचायत लातेहार के कार्यालय से कार्य दिवस में ली जा सकती है।

10. उपरोक्त डाक को बिना कारण बताये किसी भी स्टेज में रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षीत होगा। जिसे कही भी चुनौती नही दी जा सकती है।

Sd/-
कार्यापालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, लातेहार।

ज्ञापांक/677 दिनांक 06.06.2019

प्रतिलिपि :– डी0 आई0 ओ0, एन0 आई0 सी0 लातेहार को सूचनार्थ एवं उपरोक्त निविदा को जिला के वेवसाईड पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– अध्यक्ष/उपाध्यक्ष नगर पंचायत, लातेहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– उपायुक्त, लातेहार को सादर सूचनार्थ समर्पित।

6/6/19
कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, लातेहार